कार्यालय नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ)

पत्रांक :– 259 दिनांक :– 10/6/25

सेवा में,

आयुक्त महोदय
मेरठ मण्डल, मेरठ।

द्वारा :– जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

विषय :– नगर पालिका परिषद सरधना (मेरठ) की आहूत बोर्ड बैठक दिनांक 09.06.2025 के द्वारा पारित संकल्प की सूचना संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवगत कराना है कि इस निकाय में दिनांक 09.06.2025 को पालिका पत्रांक 252 दिनांक 06.06.2025 को पालिका सभागार में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरधना द्वारा बोर्ड बैठक आहूत करने के लिए एजेण्डा प्रेषित किया गया था **(संलग्न आहूत बोर्ड बैठक का एजेण्डा सूचना)।**

तद्‌नुसार बोर्ड द्वारा दिनांक 09.06.2025 को बोर्ड बैठक में एजेण्डा बिन्दुओं के सापेक्ष पारित संकल्प प्रस्ताव आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, सेक्टर–7 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, मेरठ।
3. उप जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
4. प्रधान लिपिक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त बोर्ड बैठक के पारित संकल्प की प्रति पालिका के सूचना पट पर चस्पा व पालिका की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)

आज दिनांक 09.06.2025 को अपरान्ह् 03:00 बजे नगर पालिका परिषद, सरधना के सभागार में श्रीमती सबीला बेगम अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, सरधना की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नवत् उपस्थिति रही–

	श्रीमती सबीला बेगम,	अध्यक्ष,
	श्री अतुल प्रधान जी	मा0 विधायक / पदेन सदस्य
1	श्रीमती अंजली	सदस्य,
2	श्रीमती कविता	सदस्य,
3	श्री मुकेश	सदस्य,
4	श्रीमती शगुफ्ता	सदस्य,
5	श्री संजय कुमार	सदस्य,
6	श्री शानू जैन	सदस्य,
7	श्रीमती नेहा जैन उर्फ नेहा टाली	सदस्य,
8	श्री राहुल	सदस्य,
9	श्री शकील	सदस्य,
10	श्रीमती दानिस्ता	सदस्य,
11	श्री शहजाद	सदस्य,
12	श्री शाहिद	सदस्य,
13	श्रीमती शमीना	सदस्य,
14	श्री मोहम्मद खालिद	सदस्य,
15	श्री फरमान	सदस्य,
16	श्री सलीम	सदस्य,
17	श्री मन्नान	सदस्य,
18	श्री आशीष त्यागी	सदस्य,
19	श्री तारिक हसन	सदस्य,
20	श्री इमरान	सदस्य,

प्रस्ताव संख्या 1 :– गत बैठक की पुष्टि	सदन के समक्ष गत बैठक की पुष्टि हेतु बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराते हुए गत बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से गत बैठक की पुष्टि की गयी ।
प्रस्ताव संख्या 2 :– मेला बूढा बाबू, 2025 के आयोजन हेतु व्यवस्थाओं पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन के समक्ष मेला बूढा बाबू 2025 के आयोजन के संबंध में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान मेला बूढा बाबू 2025 में कार्यक्रम कराने हेतु प्रायोजकों के संबंध में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कार्यकम सरधना व्यापार मण्डल रजिस्टर्ड, मेरठ द्वारा व मैजिक शौ का कार्यकम श्री सुशील कुमार के0के0 पब्लिक स्कूल सरधना द्वारा व एक शाम शहीदों के नाम कार्यकम सामाजिक विकास सेवा समिति व खाटू श्याम कार्यकम राष्ट्रीय व्यापार सरधना द्वारा व लोकल गंगा जमुनी / मुशायरा कार्यकम धर्म पर्यावरण समिति द्वारा व सांस्कृतिक कार्यक्रम पश्चिम उ0प्र0 व्यापार मण्डल मेरठ द्वारा लिखित सहमति दी है से अवगत कराया गया है, जिस पर सदन में चर्चा उपरान्त मा0 विधायक श्री अतुल प्रधान जी द्वारा कहा गया कि जो आयोजक कार्यकम करा रहे है व

Shahid

	कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाये रखे तथा कार्यक्रमों के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा नियुक्त किये जाने वाली कार्यक्रम समिति से भी सामंजस्य स्थापित कर उनके सम्मान में कोई कमी न हो यह भी ध्यान रखा जाये सदन में श्री शहजाद सितारा, श्री सोनू, आशीष त्यागी, श्री इमरान, श्रीमती कविता, श्री खालिद अंसारी द्वारा ऑल इण्डिया मुशायरा का कार्यक्रम अंकन 1,31,000 रू0 में सभासदों की कमेटी को सौंपने हेतु प्रस्ताव रखा। उक्त प्रस्ताव पर सदन में सदस्यों के बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने पर मा0 विधायक जी द्वारा ऑल इण्डिया मुशायरा कार्यक्रम स्वयं आयोजक के रूप में लेते हुए आयोजित कराने व रंगमंच हिन्दी नाटक मंचन का कार्यक्रम जो दर्पण कला केन्द्र द्वारा पूर्व मेले में कराया जाता रहा है उसको स्वयं आयोजक के रूप में आयोजित करने हेतु सहमति दी गयी। सदन में श्री खालिद अंसारी द्वारा कव्वाली का कार्यक्रम अंकन 50,000 रू0 बजट पर स्वयं को दिलाने हेतु प्रस्ताव रखा तथा श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा रागिनी कार्यक्रम गत वर्ष मेला बूढा बाबू में निर्धारित बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत कम पर कराने हेतु प्रस्ताव रखा, रागिनी के कार्यक्रम पर गत वर्ष में विवाद होने के कारण रागिनी कार्यक्रम कराने हेतु कोई आम सहमति नहीं बनी। उक्त के अतिरिक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों को ब्रज सांस्कृति लोक नृत्य कला मंच द्वारा ब्रज सांस्कृतिक लोक नृत्य, लोक गीत नाईट की प्रस्तुति हेतु आचार्य राम कृष्ण श्री धाम वृन्दावन द्वारा अंकन 1,00,000 रू0 का कार्यक्रम कराने हेतु जो प्रस्ताव दिया गया है उससे अवगत कराया गया जिस पर सदन में उपस्थित मा0 विधायक जी द्वारा उक्त कार्यक्रम स्वयं आयोजित कराने हेतु सहमति दी गयी। उक्त के अतिरिक्त चर्चा उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि गतवर्ष में रागिनी के कार्यक्रम को छोडते हुए जिन कार्यक्रमों के आयोजक पालिका को मिल गये है उनके अतिरिक्त यदि कोई कार्यक्रम मेले में कराने हेतु अवशेष रहता है, तो उसे सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर आयोजक तलाशते हुए आयोजकों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया ऐसे कार्यक्रमों के आयोजक न मिलने पर ही पालिका द्वारा ऐसे कार्यक्रमों पर गतवर्ष का निर्धारित बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत बजट कम निर्धारित कर कार्यक्रम पालिका द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से कराने पर सहमति बनी तथा साथ ही साथ चर्चा उपरान्त मेला बूढा बाबू 2025 का शुभारम्भ दिनांक 20.06.2025 से दिनांक 12.07.2025 तक कराने का निर्णय लिया गया। उपरोक्तानुसार कार्यक्रम कराये जाने हेतु सदन द्वारा सर्वसम्मति से सहमति देते हुए व मेले में समस्त पत्राचार आदि के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुए मेले में मेला समिति व कार्यक्रम समिति बनाने हेतु भी अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया तथा साथ ही साथ सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि श्री रामलीला ग्राउण्ड का ठेका पालिका द्वारा छोड़ने से गत वर्षो की भांति श्री रामलीला कमेटी का जिन वित्तीय वर्षों का गृहकर, जलकर की मांग बकाया है उनको समायोजित कर व श्री रामलीला भवन के प्रयोग पर श्री रामलीला भवन को

	एक निर्धारित शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित कर देने हेतु सहमति बनी। उक्तानुसार पालिका ग्रहकर अभिलेखानुसार उक्त प्रस्ताव के क्रम में श्री रामलीला कमेटी पर जिन वित्तीय वर्षों की ग्रहकर जलकर की मांग को समायोजित कर नो–डयूज दिया जाना है व जिन वर्षों का श्री रामलीला भवन के प्रयोग पर शुल्क दिया जाना है, उसको अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित करते हुए शीघ्र अति शीघ्र श्री रामलीला कमेटी को देने पर सर्वसम्मति से सहमति बनी। इसके अतिरिक्त मेला बूढा बाबू में आय–व्यय को समतुल्य करने के लिए गत वर्षों की भांति मेले में उदघाटन पर व मेला क्षेत्र में विद्युत साज–सज्जा, मेला क्षेत्र में रंगाई पुताई, पेयजल के लिए मयूर जग, सुरक्षा हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरों का अधिष्ठापन कराने, निमंत्रण पत्र व फ्लैक्सी, टैन्टेज व्यवस्था, कार्यक्रमों की विडियोग्राफी, साउण्ड व्यवस्था व समापन कार्यक्रमों पर पूर्व में व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष मेले की व्यवस्थाओं पर इसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े इस हेतु मेले में व्यवस्था बनाये रखने व आय–व्यय समतुल्य रखने के लिए सदन द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवश्यकतानुसार मेले में की जाने वाली व्यवस्थाओं पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े इसको दृष्टिगत रखते हुए यथा आवश्यकतानुसार व्यवस्थाओं पर किये गये व्यय में कटौतियां करते हुए आंगणन/व्ययानुमान धनराशि अंकित कर कुटेशन/निविदा की कार्यवाही की जाये। उक्तानुसार समस्त कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 3 :–</u> नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उप विधि 2024 के लागू करने हेतु शासन के पत्र संख्या 925/नौ–9–2025–ई–1853096 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 09 मई 2025 पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में चर्चा के दौरान शासन के पत्र अनुसार कार्यवाही करने के लिए सर्वसम्मति से नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उप विधि 2024 को लागू करने के लिए अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 4 :–</u> नगर में पशु डेयरीयों के संचालन हेतु लाईसेन्स देने के लिए उपविधि तैयार करने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में चर्चा उपरान्त नगर में पशुओं की डेयरीयों के लिए डेयरी संचालकों से पालिका द्वारा समस्त बोर्ड को साथ लेते हुए व मा0 विधायक जी की उपस्थिति में एक बैठक आहूत करने पर सहमति बनाते हुए तथा डेयरीयों से संबंधित लाईसेन्स देने के लिए उपविधि तैयार करने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति देते हुए उपविधि तैयार करने के लिए सर्वसम्मति से अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुए डेयरी संचालकों से आहूत होने वाली बैठक में इससे उनको अवगत कराते हुए उपविधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्णय लिया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 5 :–</u> नगर का जी0आई0एस0 सर्वे कराये जाने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में चर्चा के दौरान नगर का जी0आई0एस0 सर्वे का कार्य कराने पर सहमति बनाते हुए जी0आई0एस0 सर्वे अनुसासर कार्य करने के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :– अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	
प्रस्ताव संख्या 6 (1) :– वार्ड सदस्यों द्वारा अपने–अपने वार्ड में विकास कार्य हेतु दिये गये प्रस्ताव पत्रों पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में वार्ड सदस्यों द्वारा अपने अपने वार्ड में दिये गये प्रस्ताव में उल्लिखित विकासात्मक कार्यों के प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा गया। **श्रीमती कविता, सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्तावः–** 1–वार्ड न0 3 गोमती नगर से दौराला रोड़ तक आर0सी0सी0 कवर्ड नाले का स्टीमेट बनाकर, टेण्ड़र जारी कर निर्माण करायें। **श्री शाहिद मलिक सदस्य द्वारा दिया गया प्रस्तावः–** 1–यह कि एक गली मदरसे से लेकर आफताब के घर तक जो बहुत जर्जर हालत में है, पूर्ण निर्माण होना आवश्यक हैं। 2–यह कि अनीस अंसारी के घर से अंधा राजी मलिक के घर तक गली का पूर्ण निर्माण होना है जो बहुत जर्जर हालत में है। 3–यह कि नाली निर्माण जो बहुत जर्जर हालत में है, मुबस्सिर की दुकान से लेकर फरीद्दीन अंसारी की दुकान तक नाली होना निर्माण होना है। 4–यह कि मौहब्बत के घर से लेकर मुन्ना अंसारी के मकान तक गली निर्माण होना है जो बहुत जर्जर हालत में है। 5–यह कि गली निर्माण हेतु हकीमुद्दीन के मकान से लेकर अब्बास मलिक के मकान तक गली निर्माण होना आवश्यक है। जो कि बहुत जर्जर हालत में है। 6–यह कि गली निर्माण हेतु इरशाद मलिक के मकान से लेकर रमजानी मलिक के मकान तक इसी गली में दो गली बन्द है, जो बहुत जर्जर हालत में है उसका गली निर्माण बहुत जरूरी है। 7–यह कि गली निर्माण हेतु अफरोज राणा के मकान से लेकर अनस राणा के मकान तक निर्माण होना आवश्यक है। जो कि बहुत जर्जर हालत में है। उक्त प्रस्तावों पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधिशासी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में पालिका में राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है जिस कारण उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है, जिस को दृष्टिगत रखते हुए सदन में चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मा0 सदस्यों द्वारा दिये गये विकास कार्यों के प्रस्ताव में अति आवश्यक कार्य को चिन्हिंत करते हुए अति आवश्यक कार्य ही राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाये तथा साथ ही साथ सदन में चर्चा उपरान्त सहमति बनी कि नगर में यदि

	कहीं भी सडक में कोई गडढा अथवा कोई नाली अथवा नाला क्षतिग्रस्त होता है या पेयजलापूर्ति में समसेबिल अथवा कोई समरसेबिल पम्प, पैनल, आदि खराब होता है या किसी कीटनाश्क दवा आदि की आवश्यकता होती है तो समरसेबिल रिबोर/हैण्डपम्पों/पालिका वाहनों की मरम्मत की समस्या उत्पन्न होती है या कहीं पर अति आवश्यक निर्माण कराया जाना आवश्यक होता है, तो ऐसे कार्यों को चिन्हिंत करते हुए पालिका अवर अभिंयता से आंगणन बनवाकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त कराया जाये व उपरोक्त अन्य कार्यों पर कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए सभा समाप्त की गयी।

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)